

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg
New Delhi-110025

Tel. : 26984075, 26988044
26981717, 26985176
Fax : 26980229, Grams : JAMIA
E-mail : ssajid@jmi.ac.in
Website : http://jmi.ac.in



Office of the Registrar

No. JMI/R.O./L&Ord./2013

August 6, 2013

NOTIFICATION

This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Jamia Millia Islamia has been pleased to accord his assent for amendment/addition to the existing Statute 23 of JMI Act, 1988 relating to "Jamia Schools" with regard to implementation of Section 21 & 22 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 and Rules 3, 4 and 5 of the Rules made thereunder, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letter No.F.6-8/2013-Desk(U) dated 18th July, 2013.

The amended Statute 23 as approved would now be read as shown in the Annexure.

Shahid Ashraf
(Prof. Shahid Ashraf)
Registrar

Copy for information & necessary action to:-

1. The Secretary to the Govt. of India, MHRD, New Delhi
2. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi
3. The Under Secretary, Ministry of HRD, (Deptt. of Higher Education), New Delhi (Scopia)
4. All the Deans of Faculties of JMI
5. The Dean, Students' Welfare, JMI
6. All the Heads of the Departments, JMI
7. The Directors/Hony. Directors of the Centres, JMI
8. The Controller of Examinations, JMI
9. The Chairman, Ordinance Committee, JMI
10. The Hony. Director, FTK Centre for Information Technology, JMI – With the request to incorporate in the appropriate place of the University's Statutes and also for display on the Jamia's Website.
11. The Finance Officer, JMI
12. The Dy. Registrar (Admn.), JMI – He is requested to please get the correction incorporated in the printed copies of Jamia Act, Statutes available in his Branch.
13. The Dy. Registrar (HRD), JMI
14. The OSD (Establishment), JMI
15. The Development Officer, JMI
16. The Media Co-ordinator, JMI
17. The Hindi Officer, JMI - With the request to pursue uploading on University's website and updating the amendment in the relevant Statute.
18. The Secretary to the Vice-Chancellor, JMI
19. The Asstt. Registrar (Legal & Ord.), JMI
20. The Asstt. Registrar (A&C), JMI
21. The Asstt. Registrar (Schools), JMI
22. The P.A. to the Pro-Vice-Chancellor, JMI
23. The Asstt. Registrar, Registrar's Secretariat, JMI
24. File /Folder

Shahid Ashraf
Assistant Registrar
(Legal & Ordinance)

ANNEXURE

Amended Statute 23 captioned "JAMIA SCHOOLS" as approved vide MHRD No.F.6-8/2013-Desk(U) dated July 18, 2013

[Amendments in Statute 23 (in Bold Italics)]

23. JAMIA SCHOOLS:

- (1) Subject to the provisions of the ***Jamia Millia Islamia Act, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 and the Rules made thereunder***, and these Statutes, the Schools established and maintained by the University shall function as an autonomous unit with a Board of Management to manage and supervise their working:

Provided that the Majlis-i-Muntazimah (Executive Council) may issue, from time to time, such direction on all matters, as it may consider necessary, for the smooth functioning of the Schools and in case the Board of Management does not agree with such directions, the matter may be referred to the Visitor, whose decision thereon shall be final.

- (2) The Board of Management shall consist of the following members, namely:-
- (i) the Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor), who shall be the Chairman;
 - (ii) the Naib Shaikh-ul-Jamia (Pro-Vice-Chancellor);
 - (iii) the Dean, Faculty of Education ;
 - (iv) the Principal, Senior Secondary School;
 - (v) the Headmaster, Middle School;
 - (vi) the Director, Nursery School;
 - (vii) the Director, Balak Mata Centres;
 - (viii) one Principal from among the Principal of the Senior Secondary Schools of Delhi, to be nominated by the Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor);
 - (ix) the Secretary, Central Board of Secondary Education, Delhi;
 - (x) the Assistant Registrar for Schools, who shall be the Secretary;

Provided that there shall be a School Management Committee for regulating Elementary Education in the Jamia Schools as per the provisions of Section 21 and 22 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, and Rules 3, 4 & 5 of the Rules made thereunder.

- (3) The Board of Management shall be competent to exercise the following powers, namely:-
- (i) to appoint the members of the teaching and administrative staff on the recommendation of the Selection Committees constituted for the purpose and all such appointees shall be the employees of the University and shall be governed by the Act, these Statutes, Ordinances and Regulations;
 - (ii) to manage and regulate the finances, accounts, business and all other administrative affairs of the Schools;
 - (iii) to appoint examiners, moderators and others concerned with the conduct of examination and to fix their remuneration;
 - (iv) to institute and regulate the award of scholarships, studentships, certificates, medals and prizes;
 - (v) to entertain and adjudicate upon any grievances of the members of the teaching and administrative staff of the Schools; and
 - (vi) to exercise such other powers and perform such functions as may be deemed necessary for the smooth functioning of the Schools.

* * * * *

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)

Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

जामिआ मिल्लिया इस्लामिया

(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025

टेली. : 26984075, 26988044

: 26985176, 26981717

फैक्स : 26980229

ग्राम्स : जामिया

ई-मेल : ssajid@jmi.ac.in

वेबसाइट : http://jmi.ac.in



कुलसचिव कार्यालय

सं. जा.मि.इ./आर.ओ./एल एंड ऑर्ड./2013

6 अगस्त, 2013

अधिसूचना

सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के मौजूदा परिनियम 23 जो "जामिया के स्कूलों" से संबंधित है, उसमें संशोधन/परिवर्धन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है जिससे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 और 22 तथा तदुपरांत बनाए गए नियम 3, 4 और 5 का कार्यान्वयन हो सके जिसकी सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. एफ.6-8/2013-डेस्क (यू), दिनांक 18 जुलाई, 2013 द्वारा दी है।

यथाअनुमोदित संशोधित परिनियम 23 अब संलग्नक में दर्शाए गए अनुसार पढा जाएगा।

Shahid Ashraf
(प्रो शाहिद अशरफ)
कुलसचिव

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि :

1. सचिव, भारत सरकार, मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
3. अवर सचिव, मा.सं.वि. मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग), नई दिल्ली *९५ प्रतियां*
4. जा.मि.इ. के सभी संकायाध्यक्ष
5. डीन, विद्यार्थी कल्याण, जा.मि.इ.
6. सभी विभागाध्यक्ष, जा.मि.इ.
7. केन्द्रों के निदेशक/मानद निदेशक, जा.मि.इ.
8. परीक्षा नियंत्रक, जा.मि.इ.
9. अध्यक्ष, अध्यादेश समिति, जा.मि.इ.
10. मानद निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एफ.टी.के. केन्द्र, जा.मि.इ.-इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय के परिनियम में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया जाए तथा साथ ही जामिया की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
11. वित्त अधिकारी, जा.मि.इ.
12. उप कुलसचिव (प्रशा.), जा.मि.इ.- आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखा में उपलब्ध जामिया अधिनियम, परिनियमों की मुद्रित प्रतियों में कृपया संशोधन करवाएँ।
13. उप कुलसचिव (मा.सं.वि.), जा.मि.इ.
14. ओ.एस.डी. (स्थापना), जा.मि.इ.
15. विकास अधिकारी, जा.मि.इ.
16. मीडिया समन्वयक, जा.मि.इ.
17. हिन्दी अधिकारी, जा.मि.इ. - इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग का अनुसरण किया जाए तथा संबंधित परिनियम में संशोधन को अपडेट किया जाए।
18. कुलपति के सचिव, जा.मि.इ.
19. सहायक कुलसचिव (विधि एवं अध्यादेश), जा.मि.इ.
20. सहायक कुलसचिव (ए एण्ड सी), जा.मि.इ.
21. सहायक कुलसचिव (स्कूल), जा.मि.इ.
22. निजी सहायक, सम-कुलपति, जा.मि.इ.
23. सहा. कुलसचिव, कुलसचिव सचिवालय, जा.मि.इ.
24. फाइल/फोल्डर

Shahid Ashraf
सहायक कुलसचिव
(विधि एवं अध्यादेश)

मा.सं.वि.मं. सं. एफ.6-8/2013-डेस्क (यू) दिनांक 18 जुलाई, 2013 द्वारा यथाअनुमोदित संशोधित
परिनियम 23 अनुशीर्षक "जामिया के स्कूल"

[परिनियम 23 में संशोधन (बोल्ट इटालिक में)]

23. जामिया के स्कूल:

1. जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और तदुपरांत बनाए गए नियम और इन परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं संचालित स्कूल स्वायत्त एकक के रूप में कार्य करेंगे जिनके कार्य के प्रबंधन एवं देखरेख के लिए एक प्रबंध मंडल होगा ।

प्रावधान है कि मजलिस-ए-मुन्ताजिमाह (कार्य परिषद्) समय-समय पर यदि जरूरी समझे तो स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी मामलों से संबंधित निर्देश जारी कर सकती है और यदि प्रबंध मंडल इन निर्देशों से सहमत न हो तो इस मामले को कुलाध्यक्ष को भेजा जा सकता है जिनके निर्णय को अंतिम माना जाएगा ।

2. प्रबंध मंडल में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम इस प्रकार है:-

- (i) शैख-उल-जामिया (कुलपति), जो अध्यक्ष होंगे;
- (ii) नायब शैख-उल-जामिया (समकुलपति);
- (iii) संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय ;
- (iv) प्रधानाचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय;
- (v) हेडमास्टर, मिडिल स्कूल;
- (vi) निदेशक, नर्सरी स्कूल;
- (vii) निदेशक, बालक माता केन्द्र;
- (viii) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से कोई एक प्रधानाचार्य जिसे शैख-उल-जामिया (कुलपति) नामित करें;
- (ix) सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली;
- (x) सहायक कुलसचिव (स्कूल) जो सचिव होंगे;

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 और 22 तथा तदुपरांत बनाए गए नियम 3, 4 और 5 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान है कि जामिया के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को लागू करने के लिए एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी ।

3. प्रबंध मंडल निम्न शक्तियों के प्रयोग हेतु सक्षम होगा :-

- (i) सेलेक्शन हेतु बनायी गई सेलेक्शन कमेटी की संस्तुति पर टीचिंग और प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति करना और इस प्रकार से नियुक्त स्टाफ विश्वविद्यालय के कर्मचारी होंगे तथा उन पर सभी अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश और विनियम लागू होंगे;
- (ii) स्कूल के सभी वित्तीय, लेखा, व्यावसाय और प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और रेगुलेटींग कार्य करना;
- (iii) परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षकों, मॉडरेटरों और संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति करना तथा उनके पारिश्रमिक को तय करना;
- (iv) स्कॉलरशिप, स्टुडेंटशिप, प्रमाणपत्रों, मैडलों और पुरस्कारों आदि को शुरू करना और रेगुलेट करना;
- (v) स्कूल के टीचिंग और प्रशासनिक स्टाफ की किसी भी शिकायत को सुनना और उनका न्यायपूर्ण निर्णय करना; तथा
- (vi) स्कूलों को सुचारु रूप से चलाने के लिए यदि आवश्यक हो तो अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और अन्य प्रकार के कार्य करना।